कार्यालय वन मण्डल अधिकारी वन मण्डल सिंगरौली (म0प्र0)

सूचना का अधिकार

माजन मोड़ जिला पंचायत के बगल में

ईमेल–dfot.sgl@mp.gov.in, फोन–07805-233336 फैक्स–233335

क्र0 / मा0चि0 / 526 सिंगरौली, दिनांक 29/01/2020

प्रति,

टेलीसोनिक नेटवर्क लिमिटेड,
तृतीय तल टॉवर विजय नगर
इन्दौर (म0प्र0)

विषयः– Request for granting permission for laying Optical Fiber Cable on Waidhan -MP/UP Border (Dudhi) road total lengths 4.5 Km (0.225 Ha).

संदर्भः– (i) ऑनलाइन प्रकरण क्रमांक FP/MP/OFC/42699/2019

(ii) आपका प्राप्त वचन पत्र क्रमांक 306 दिनांक 23.01.2020।

–000–

सिंगरौली जिले की बैढ़न से एम.पी/यू.पी. बार्डर (दुधी) रोड में ऑप्टिकल फाइबर केबल लाईन डालने की अनुमति हेतु टेलीसोनिक नेटवर्क लिमिटेड द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत ऑनलाइन प्रस्ताावित है। जिसमें वन परिक्षेत्र बैढ़न अन्तर्गत आर.एफ. 409, 410, 396 एवं 397 कुल रकवा 0.32 हे0 वन भूमि प्रभावित हो रही है। विवरण निम्नानुसार हैः–

क्रं0	संरक्षित / आरक्षित वन भूमि	परिक्षेत्र का नाम	वन खण्ड का नाम	बीट का नाम	कक्ष क्रमांक	रकवा (हे0)
1	2	3	4	5	6	7
	आरक्षित वन भूमि	बैढ़न	रेड़वन	सुईडीह	RF 409	0.06
			रेड़वन	सुईडीह	RF 410	0.03
			रेड़वन	गोभा	RF 396	0.05
			रेड़वन	गोभा	RF 397	0.18
आरक्षित वन भूमि का योगः–						0.32
संरक्षित वन भूमि का योगः–						0.00
महायोगः–						0.32

2. म.प्र. शासन वन विभाग द्वारा दिए गए प्रावधान अनुसार, म.प्र. शासन वन विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ–5/08/2002/10–3 भोपाल 01 जुलाई 2009 तथा वन विभाग के समसंख्यक ज्ञाप दिनांक 18.11.2004, 14.12.2005, भारत सरकार पर्यावरण मंत्रालय, वन एवं जलवायु परिवर्तन का पत्र क्रमांक F.No.11-9/1998-FC दिनांक 12.12.2017 एवं अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) मध्य प्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक/एफ/11/2015/2637 भोपाल, दिनांक 28.10.2015, पत्र क्रमांक/एफ–5/2018/निर्देश/10–11/48 भोपाल, दिनांक 06.01.2018 से वनभूमि अंतर्गत भूमिगत आप्टिकल फाइबर केवल लाइन के संबंधित प्रकरणों में शर्तों के अधीन अनुमति जारी करने के निर्देश दिए गए हैं।

3. ऑनलाइन प्रविष्टियों की पूर्ति हो जाने के उपरांत इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 314 दिनांक 21.01.2020 के द्वारा आवेदित वनभूमि हेतु कतिपत शर्तो के अधीन प्रथम चरण की सैद्वांतिक सहमति एवं कैम्पा खाते में Other मद में राशि रु. 100/– भारत सरकार की वेबसाईट के माध्यम से जमा कराकर चालान की प्रति इस कार्यालय में प्रस्तुत किये जाने संबंधी पत्र जारी किया गया है।

reliance 4g

4. आपके संदर्भित पत्र के द्वारा इस कार्यालय से जारी सैद्वांतिक सहमति पत्र में अधिरोपित शर्तो के पालन का वचन पत्र एवं चालान की प्रति प्रस्तुत किया गया है। फलस्वरूप बैढ़न से एम.पी/यू.पी. बार्डर (दुधी) रोड में ऑप्टिकल फाइबर केबल लाईन डालने की औपचारिक स्वीकृति निम्नाकिंत शर्तों के अधीन प्रदान की जाती हैः–

(i) ऑप्टिकल फाइबर लाईन बिछाने हेतु 1.65 मीटर गहराई, 3200 मीटर लम्बाई तथा 1 मीटर चौड़ाई से अधिक वनभूमि का उपयोग नही किया जावेगा।

(ii) वन भूमि का वैधानिक स्वरूप परिवर्तित नहीं होगा।

(iii) वनभूमि में भूमिगत आप्टिकल फाइबर केबल डालने की स्वीकृति वर्तमान में उपलब्ध मार्ग के किनारे राइट ऑफ वे के तहत ही होगी। राइट ऑफ वे से तात्पर्य मार्ग के किनारे–किनारे मार्ग सीमा के अन्दर आने वाले क्षेत्र से है।

(iv) उपभोक्ता कम्पनी द्वारा केबल लाइन हेतु वृक्षों की कटाई नहीं की जावेगी और न ही किसी प्रकार से पर्यावरण एवं वन्यप्राणियों के आवास एवं रहवास को क्षति पहुँचाई जावेगी।

(v) यदि वन एवं पर्यावरण को क्षति पहुँचती है तो उपभोक्ता कम्पनी उसकी भरपाई करेगी।

(vi) वनभूमि का उपयोग ऑप्टिकल फाइबर लाइन बिछाने के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य के लिये नही किया जावेगा।

(vii) केबल लाईन बिछाने के पश्चात नाली में मिट्टी वापस डालकर भूमि समतल की जावेगी।

(viii) समतलीकरण के कार्य हेतु यदि मिट्टी पत्थर की आवश्यकता हो तो वनक्षेत्र में उत्खनन नहीं किया जावेगा।

(ix) केबल लाइन बिछाने के कार्य के कारण यदि वन क्षेत्र में कोई नुकसान होता है तो आवेदक संस्थान द्वारा ऐसे क्षति की भरपाई की जावेगी।

(x) भारत सरकार से निर्णय आने पर नेट प्रजेण्ट वैल्यू की राशि जमा करने हेतु आप वचनबद्ध है।

(xi) वनों के संरक्षण अनुरक्षण तथा संवर्धन के हित में भारत सरकार/राज्य शासन/वन विभाग द्वारा समय–समय पर आधिरोपित की गई अन्य शर्तों का पालन आवेदक/संस्थान द्वारा किया जावेगा।

(विजय सिंह)
वन मण्डल अधिकारी
वन मण्डल सिंगरौली

पृ0क्र0/मा0चि0/ 527
सिंगरौली दिनांक 29/01/2020

प्रतिलिपिः–

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) मध्यप्रदेश, सतपुड़ा भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. मुख्य वन संरक्षक रीवा वृत्त रीवा की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
3. कलेक्टर, जिला सिंगरौली (म0प्र0) की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
4. उप वन मण्डल अधिकारी बैढ़न एवं वन परिक्षेत्र अधिकारी बैढ़न की ओर सूचनार्थ अग्रेषित। उपरोक्त उपरोक्त शर्तों का पालन हो, यह सुनिश्चित किया जावे किसी भी शर्त का उल्लंघन होने की स्थिति में भारतीय वन अधिनियम 1927 एवं वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत नियमानुसार प्रतिबन्धात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।

वन मण्डल अधिकारी
वन मण्डल सिंगरौली

reliance 4g